

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठारीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 153/24 प्रा-पत्र

1- छोडू लाल सोदेवा गुजर गिवासी- कजलोदिया तहसील- गाडेल (गैरो)

- पत्नी

बनाम

1- राजू सो गोपी गुजर गिवासी- कजलोदिया तहसील- गाडेल (गैरो)
(संबन्धित प्रा पत्र संख्या)

- पत्नी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक- 28.5.24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि
ग्राम कजलोदिया पटवार हल्का वमनपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की
आराजी नं० 264, 265, 266, 267, 268, 269 कुल कित्ता 06 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि
के विपक्षीयता के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता
रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 13.5.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकल्प की
अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी करवाने का
अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए
नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कजलोदिया पटवार
हल्का वमनपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 264, 265, 266, 267, 268, 269
कुल कित्ता 06 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी दीये
जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षण बैरा
को 500 रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर जाकर
की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील दिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फरसल लकी काने पर
पत्थरगढी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर निधम
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी
माण्डल